



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124635

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 22935 वर्ष 2026

के पी सिंह उर्फ काइका उर्फ कौशल कुमार एवं 3 अन्यआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यविपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सुनील कुमार, विकास पांडे

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 528 के तहत वर्तमान आवेदन इस प्रार्थना के साथ दायर किया गया है कि इस आवेदन को स्वीकार किया जाए और थाना सैफनी, जिला रामपुर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 158 वर्ष 2025 (राज्य बनाम के.पी. सिंह उर्फ काइका एवं अन्य) अन्तर्गत धारा 324(4), 115(2), 351(2), 352 बीएनएस में विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या- 3, रामपुर द्वारा पारित संज्ञान/समन आदेश दिनांक 18.12.2025 तथा दिनांक 13.09.2025 के आरोप पत्र सहित संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त किया जाए, जो कि वर्तमान में विद्वान ए.सी.जे.एम.-I, रामपुर के न्यायालय में लंबित है, जिसमें पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आगामी आनुषंगिक कार्यवाहियां भी शामिल हैं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकों और विपक्षी संख्या- 2 ने समझौते के माध्यम से विवाद का निपटारा कर लिया है, जिसे अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-1, रामपुर द्वारा दिनांक 06.05.2026 को विधिवत सत्यापित किया जा चुका है।

4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान विवाद आवेदकों और विपक्षी संख्या- 2 के बीच पूरी तरह से व्यक्तिगत प्रकृति का है। यह भी तर्क दिया गया कि पक्षकारों ने बिना किसी दबाव, धमकी या जबरदस्ती के स्वेच्छा से समझौता किया है और वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं, इसलिए पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाहियों को निरस्त किया जाए और वे प्रति-शपथपत्र तथा प्रत्युत्तर-शपथपत्र दाखिल करने का इरादा नहीं रखते हैं।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सत्यता पर विवाद नहीं करते हैं।

6. पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर किसी मामले को निरस्त करने के संबंध में कानूनी स्थिति पूरी तरह से सुस्थापित है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 एससीसी 303** के अपने संविधान पीठ के निर्णय में माना है कि "परंतु जिन आपराधिक मामलों में अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी (सिविल) प्रकृति होती है, वे निरस्तीकरण के उद्देश्यों के लिए अलग धरातल पर होते हैं, विशेष रूप से वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी तरह के लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अपराध या दहेज आदि से संबंधित विवाह से उत्पन्न होने वाले अपराध या पारिवारिक विवाद जहाँ दोष मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का होता है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया है। मामलों की इस श्रेणी में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त कर सकता है यदि उसकी राय में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना क्षीण और धुंधली है तथा आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त के लिए गंभीर उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कारण बनेगा और पीड़ित के साथ पूर्ण व व्यापक समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा।"

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परबतभाई अहीर उर्फ परबतभाई भीमसिंहभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2017) 9 एससीसी 641 में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने के व्यापक सिद्धांतों को इस आधार पर निर्धारित किया है कि "समझौते के आधार पर गैर-शमनीय मामलों में भी आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त किया जा सकता है ताकि न्यायालय का मूल्यवान समय बचाया जा सके और इसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।"

9. दोनों पक्षकार संबंधित न्यायालय में अपने बीच लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने के लिए सहमत हुए हैं। अभिलेख के परिशीलन और ऊपर उद्धृत कानून के आलोक में, वर्तमान मामला समन आदेश के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाहियों को निरस्त करने के लिए न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग करने हेतु एक उपयुक्त मामला है।

10. विवाद पूरी तरह से दीवानी प्रकृति का प्रतीत होता है जिसे पक्षकारों द्वारा आपसी पूर्ण संतुष्टि के साथ सुलझा लिया गया है, इसलिए अभियोजन पक्ष को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

11. बीएनएस की धारा 528 के तहत निरस्तीकरण के लिए दायर वर्तमान आवेदन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या- 3831 वर्ष 2025, एस.एल.पी. (क्रिमिनल) संख्या- 11642 वर्ष 2019, निर्णीत दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत आता है।

12. सत्यापन रिपोर्ट के साथ-साथ पक्षकारों के बीच तय हुए समझौते के निबंधनों के अनुसार, थाना सैफनी, जिला रामपुर से संबंधित वाद अपराध संख्या- 158 वर्ष 2025 (राज्य बनाम के.पी. सिंह उर्फ काइका एवं अन्य) अंतर्गत धारा 324(4), 115(2), 351(2), 352 बीएनएस, जो विद्वान ए.सी.जे.एम.-I, रामपुर के न्यायालय में लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला)

2 जून, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।